रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1262] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 20, 2006/आश्विन 28, 1928
No. 1262] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2006/ASVINA 28, 1928

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2006

का.आ. 1801(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

आदेश

श्री मुकुल राय, महासचिव, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, 30-बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्री स्वदेश चक्रवर्ती, आसीन संसद् सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 24 मार्च, 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याची ने यह प्रकथन किया है कि श्री स्वदेश चक्रवर्ती, हुगली रिवर ब्रिज कारपोरेशन के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे हैं जो अभिकथित रुप से एक लाभ का पद है;

और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 30 मार्च, 2006 के एक निर्देश के अधीन इस प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री स्वदेश चक्रवर्ती संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन संसद् सदस्य (लोक सभा) होने के लिए निरर्हित हो गए हैं;

और निर्वाचन आयोग के समक्ष इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 का संशोधन करने के लिए संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् उसे 18 अगस्त, 2006 को प्रकाशित कर दिया गया था;

और संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ii) द्वारा 4 अप्रैल, 1959 से यथा अंतःस्थापित संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के खंड (ट) द्वारा हुगली रिवर ब्रिज कमीशनर्स के अध्यक्ष के पद को, अन्य पदों के साथ, ऐसे पद के रुप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि वर्तमान याचिका में उठाया गया श्री स्वदेश चक्रवर्ती की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के उपबंधों के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है;

अतः, अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि श्री स्वदेश चक्रवर्ती, हुगली रिवर ब्रिज कमीशनर्स के अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति के कारण, जैसा कि याचिका में अभिकथन किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन संसद् सदस्य (लोक सभा) होने के लिए किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं ।

भारत का राष्ट्रपति

14 अक्तूबर, 2006.

[फा. सं. एच.-11026 (26)/2006-वि.-II]

डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल, अपर सचिव

उपाबंध

निर्देश :

संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन श्री स्वदेश चक्रवर्ती, संसद् सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता ।

2006 का निर्देश मामला सं. 26

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

राय

यह भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन प्राप्त तारीख 30 मार्च, 2006 के इस निर्देश में इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगने के लिए है कि क्या श्री स्वेदश चक्रवर्ती, संसद् सदस्य (लोक सभा) संविधान के अनच्छेद 102(1)(क) के अधीन लोक सभा के सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं ।

2. श्री स्वदेश चक्रवर्ती, संसद् सदस्य की अभिकथित निहर्रता का प्रश्न तारीख 24 मार्च, 2006 की याचिका में श्री मुकुल राय, महासचिव, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, 30बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष उठाया गया था । याची ने अपनी उक्त याचिका में कथन किया है कि श्री स्वदेश चक्रवर्ती, हुगली रिवर ब्रिज कारपोरेशन के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे थे । याची की यह दलील थी कि उक्त पद संविधान के अनुच्छेद 102(1) के अर्थांतर्गत सरकार के अधीन् लाभ का पद है ।

3. श्री मुकुल राय की याचिका के साथ तथापि, उसकी इस दलील के समर्थन में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं था कि श्री स्वदेश चक्रवर्ती (प्रत्यर्थी) जिस पद पर नियुक्त किए गए थे सरकार के अधीन लाभ का पद था । श्री मुकुल राय की याचिका में प्रत्यर्थी की याचिका की निर्दिष्ट पद पर नियुक्ति की तारीख के बारे में भी आधारभूत सूचना अंतर्विष्ट नहीं थी । किसी पद पर सदस्य की नियुक्ति की तारीख यह अवधारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि मामला अनुच्छेद 103(1) के निबंधन में राष्ट्रपति की अधिकारिता के भीतर आता है या नहीं । उच्चतम न्यायालय के अनेक विनिश्चयों द्वारा (देखिए निर्वाचन आयोग बनाम स0का0 वेंकटाराव) (एआईआर 1953 एससी 201) वृन्दावन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965(एससी 1892); निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी.रंगा (एआईआर 1978 एससी 1609)) यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग केवल ऐसे पदों से संबंधित जांच कर सकते हैं जिन पर संसद् सदस्यों को ऐसे सदस्यों के रूप में उनके निर्वाचन के पश्चात् नियुक्त किया गया हो । अतः याची को इस संबंध में विनिर्दिष्ट सूचना तारीख 6 अप्रैल, 2006 के आयोग की सूचना द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।

4. याची ने 28 अप्रैल, 2006 को एक पत्र प्रस्तुत किया था जिसके साथ प्रत्यर्थी का जीवन वृत्त संलग्न किया था जो वेबसाइट से डाउनलोड किया गया था और प्रत्यर्थी द्वारा उसकी स्वतः घोषणा के आधार पर संसद् के सचिवालय द्वारा तैयार किया गया था । उसने मांगी गई विनिर्दिष्ट सूचना वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया । तथापि, उसने, कथन किया कि वह वांक्षित सूचना शीघ्र ही प्रस्तुत करेगा । अतः, याची से 31 मई, 2006 तक अपेक्षित विनिर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत करने के लिए 12 मई, 2006 की सूचना द्वारा मांग की गई ।

5. तत्पश्चात् याची ने 3 जून, 2006 की उक्त सूचना के उत्तर में "हुगली नदी पुल अधिनियम, 1969" की एक फोटोप्रति अग्रेषित की और यह दलील दी कि उक्त अधिनियम की धारा 3(4) के उपबंधों के अनुसार निगम के अध्यक्ष का पद लाभ का पद था । उसने आयोग से यह भी

अनुरोध किया कि वह मामले में शीघ्रता से कार्रवाई करे, अपेक्षित सामग्री संग्रहीत करे और उसे राष्ट्रपति की राय के लिए भेज दे ।

6. याची उक्त पद पर प्रत्यर्थी के अंतिम/अद्यतन नियुक्ति की तारीख के बारे में विनिर्दिष्ट जानकारी और पद के बारे में अन्य ब्यौरे यदि कोई हों, जो प्रत्यर्थी को उद्भूत होते हों, प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं था, आयोग ने अनुच्छेद 103(2) के अधीन आयोग को निर्दिष्ट अभिकथित निरर्हता के प्रश्न के संबंध में राष्ट्रपति को अपनी राय देने में समर्थ बनाने के लिए पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार से सुसंगत जानकारी अभिप्राप्त करने का विनिश्चय किया । तद्नुसार, आयोग ने तारीख 17.6.2006 के पत्र द्वारा राज्य सरकार को 3.7.2006 तक सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया । राज्य सरकार से अनुरोध पर समय 15.7.2006 तक बढ़ाया गया उस तारीख को राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हुआ ।

7. राज्य सरकार के महाधिवक्ता द्वारा दी गई सूचना की एक प्रति इस पृष्ठांकन के साथ संलग्न की कि राज्य सरकार महाधिवक्ता की राय से सहमत है । महाधिवक्ता के टिप्पण में मूलरूप से यह कथन किया गया कि आयोग को प्रत्यर्थी से सूचना अभिप्राप्त करनी चाहिए । आयोग ने राज्य सरकार को उसकी जानकारी में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 146 के उपबंधों को उसकी जानकारी में लाते हुए और यह इंगित करते हुए कि आयोग द्वारा मांगी गई सूचना प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार बाध्य है, 21.7.2006 को वापस एक पत्र लिखा ।

8. राज्य सरकार ने इस निर्देश मामले में और प्रत्यर्थी के अन्य मामले में प्रत्यर्थी की नियुक्ति की अधिसूचनाओं की प्रतियों को संलग्न करने के साथ-साथ 1.8.2006 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया । राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज यह दर्शित करते हैं कि प्रत्यर्थी का मामला निर्वाचन पश्च नियुक्ति का मामला है । राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सदस्य की नियुक्ति की सूचना यह वर्णित करती है कि वह हुगली रिवर ब्रिज कमीशनर्स के अध्यक्ष की कालावधि के दौरान कोई वेतन प्राप्त नहीं करेगा । इन परिस्थितियों में आयोग ने 18.8.2006 को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रतियां याची को उसकी टिप्पणियां 25.8.2006 तक भेजने के लिए भेजीं । यह अवलोकन किया गया कि याची ने पद का नाम 'अध्यक्ष हुगली रिवर ब्रिज कारपोरेशन' गलत रूप से वर्णित किया है । सही नाम 'अध्यक्ष, हुगली रिवर ब्रिज कमीशनर्स' प्रतीत होता है । जैसा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वर्णित है ।

9. इसी दौरान, 1959 के मूल अधिनियम का संशोधन करने के लिए संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् 18.08.2006 को अधिसूचित कर दिया गया था । इस संशोधन अधिनियम की एक प्रति 21.08.2006 को विधि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त हुई थी । संशोधन अधिनियम द्वारा, अन्य पदों के साथ, हुगली रिवर ब्रिज एक्ट, 1969 के अधीन गठित हुगली रिवर ब्रिज कमीशनर्स में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या सदस्य (जिस किसी नाम से भी ज्ञात हो) के पदों को मूल अधिनियम की धारा 3(ट) के अधीन ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा । मूल अधिनियम के इन संशोधनों को 4 अप्रैल, 1959 से भूतलक्षी प्रभाव देते हुए प्रवृत्त किया गया है ।

10. याची ने अपनी पूर्व दलील को दोहराते हुए पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का उत्तर 25.08.2006 को प्रस्तुत किया ।

11. वर्तमान मामले में संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 का सीधा संबंध है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1959 के मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (ट) के उपबंधों और इसमें विनिर्दिष्ट निकायों के नामों से युक्त सारणी को 4.04.1959 से प्रवृत्त किया गया है । यह सुस्थापित स्थिति है कि अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी पद को ऐसे पद के रूप मे घोषित करने के लिए सशक्त है, जिसका धारक निरर्हित नहीं होगा । श्रीमती कान्ता कथूरिया बनाम एम. मानक चंद सुराना {1970(2)एससीआर 838} में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस सांविधानिक स्थिति को मान्य ठहराता है । पूर्व में भी, आयोग ने विधान मंडलों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से पारित ऐसी ही विधियों का संज्ञान किया है जब, संबंधित निर्देशों के संबंध में जांच चल रही थी । श्री गया लाल और हरियाणा विधान सभा के 23 अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश (मामला सं0 1980 का 4) में, आयोग के समक्ष निर्देश के लंबित रहने के दौरान हरियाणा विधान सभा ने हरियाणा विधान सभा (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 का दो बार संशोधन कर दिया, जिसके कारण उक्त विधान सभा सदस्यों द्वारा धारित पदों को छूट प्राप्त प्रवर्गों के अंतर्गत लाया गया था । उस मामले में, आयोग ने अपनी तारीख 21.05.1981 की राय में यह मत व्यक्त किया कि निरर्हताएं, यदि कोई थी, उनके मामलों में हट गई हैं और निर्देश निरर्थक हो गया है । इसी प्रकार, श्री मोहम्मद आजम खान की उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता के लिए अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामला {2005 का संख्या 2(जी)} में, राज्य विधान मंडल ने आयोग के समक्ष कार्यवाहियां लंबित रहने के दौरान, उत्तर प्रदेश विधान सभा (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में एक संशोधन पारित किया । उस मामले में भी आयोग ने अपनी इस आशय की राय दी थी कि निरर्हता, यदि कोई थी, विधि के संशोधित उपबंधों के आधार पर हट गई है । पुनः, हाल ही में एक अन्य

3363GI/06-2

मामले {2006 का निर्देश मामला संख्या 65(जी) से 70(जी)} में मणिपुर के 6 विधान सभा सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित श्री वाई. मांगी सिंह की याचिका पर आयोग ने, संबंधित पदों को निरर्हता से छूट प्रदान करने वाले, मणिपुर राज्य विधान मंडल द्वारा पारित संशोधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए यह राय दी कि निर्देश निरर्थक हो गया है । वर्तमान मामला ,ऊपर निर्दिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के समान ही है और विधि के संशोधित उपबंध, उनकी निरर्हता, यदि कोई थी, को हटाने के लिए पूर्ण रूप से इस मामले में भी लागू होते हैं ।

12. उपर्युक्त सांविधानिक, विधिक और तथ्यिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग का सुविचारित मत है कि श्री मुकुल राय की तारीख 24 मार्च, 2006 की याचिका में उठाया गया प्रश्न, जहां तक उसका संबंध श्री स्वदेश चक्रवर्ती की अभिकथित निरर्हता से है, अब जीवित नहीं है क्योंकि वह निरर्हता, यदि कोई थी, संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है । तदनुसार, राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को आयोग की इस आशय की राय के साथ राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है कि श्री स्वदेश चक्रवर्ती, हुगली रिवर ब्रिज कमीशनर्स के अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति के कारण, अनुच्छेद 102(1)(क) के अंतर्गत किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं है ।

ह./-	ह./-	ह./-
(एस.वाई. कुरेशी)	(एन. गोपालस्वामी)	(नवीन बी. चावला)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 14 सितम्बर, 2006

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi, the 20th October, 2006

S.O. 1801(E).—The following Order made by the President is published for general information :-

ORDER

Whereas a petition dated the 24th March, 2006 raising the question of alleged disqualification of Shri Swadesh Chakraborty, a sitting Member of Parliament (Lok Sabha) under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Mukul Roy, General Secretary, All India Trinamool Congress, 30B Harish Chatterjee Street, Kolkata;

And whereas the said petitioner has averred that Shri Swadesh Chakraborty is holding the office of the Chairman, Hooghly River Bridge Corporation, which is alleged to be an office of profit;

And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 30th March, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Swadesh Chakraborty has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Lok Sabha) under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas during the pendency of the proceedings before the Election Commission, the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, amending the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, has been enacted by the Parliament and published after the assent of the President on the 18th August, 2006;

And whereas by clause (k) of section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, as inserted with effect from the 4th day of April, 1959, vide clause (ii) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, the office of Chairman of the Hooghly River Bridge Commissioners, among others, has been declared as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a Member of Parliament;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex) that the question of alleged disqualification of Shri Swadesh Chakraborty, raised in the present petition, does not survive now, as the alleged disqualification, if any, stands removed with retrospective effect by virtue of the provisions of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that Shri Swadesh Chakraborty has not become subject to disqualification under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution, for being a Member of Parliament (Lok Sabha) on account of his appointment to the office of the Chairman of the Hooghly River Bridge Commissioners, as alleged in the petition.

President of India

14th October, 2006.

[F. No. H-11026 (26)/2006-Leg.-II]

Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl. Secy.

ANNEX

In *re:*
Alleged disqualification of Shri Swadesh Chakraborty, Member of Parliament (Lok Sabha), under Article 102 (1) (a) of the Constitution.

Reference Case No. 26 of 2006

[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

OPINION

This is a reference dated 30th March, 2006 from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Shri Swadesh Chakraborty, MP (Lok Sabha) has become subject to disqualification for being Member of the House concerned under Article 102 (1)(a) of the Constitution.

2. The question of alleged disqualification of Shri Swadesh Chakraborty, MP was raised in a petition dated 24th March, 2006 submitted to the President by Shri Mukul Roy, General Secretary, All India Trinamool Congress, 30B Harish Chatterjee Street, Kolkata. The petitioner has stated in this said petition that Shri Swadesh Chakraborty was holding the office of the Chairman, Hooghly River Bridge Corporation. The petitioner's contention was that the said office is an office of profit under the Government within the meaning of Art 102(1) of the Constitution.

3. The petition of Sh. Mukul Roy was, however, not accompanied by any document in support of his contention that the office to which Shri Swadesh Chakraborty (respondent) had been appointed was an office of profit under the Government. The petition of Shri Mukul Roy did not even contain the basic information about the date of appointment of the respondent to the office referred to in the petition. The date of appointment of a Member to an office is vital to determine whether the case falls within the jurisdiction of the President to decide in terms of Article 103 (1). It is well settled by a catena of decisions of the Supreme Court {see Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201); Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892); Election Commission Vs. N.G.Ranga (AIR 1978 SC 1609)} that under Article 103 of the Constitution, the President and the Election Commission can look into the questions of only those offices to which the Members of Parliament are appointed after their election as such Members. The Petitioner was, therefore, asked to furnish specific information in that regard vide the Commission's Notice dated 6th April, 2006.

4. The Petitioner submitted a letter dated 28th April, 2006, enclosing therewith a biographical sketch of the respondent, downloaded from the website prepared by the Parliament Secretariat on the basis of self declaration by the respondent. He did not furnish any document containing the specific information as called for. He, however, stated that he would furnish the desired information shortly. Therefore, the petitioner was again called upon, vide Notice on 12th May, 2006, to furnish the requisite specific information, by 31st May, 2006.

5. The Petitioner thereafter forwarded a photocopy of the "Hooghly River Bridge Act, 1969" with his letter in reply to the said Notice, on 3rd June, 2006, and contended that as per provisions of Section 3(4) of the Act, the post of the Chairman of the Corporation was an office of profit. He also requested the Commission to proceed expeditiously in the matter, collect all the required materials and send its opinion to the President.

6. As the petitioner was not able to furnish specific information about the date of last/latest appointment of the respondent to the said office and other details about the profit, if any, accruing to the respondent, the Commission decided to obtain the relevant information from the State Government of West Bengal, to enable the Commission to give its opinion to the President on the question of alleged disqualification referred to the Commission under Article 103(2). Accordingly, vide letter dated 17.6.2006, the Commission requested the State Government to furnish the relevant information by 3.7.2006. On a request from the State Government, the time was extended to 15.7.2006, on which date a reply was received from the State Government.

7. The State Govt. enclosed a copy of a note given by the Advocate General of the State. with an endorsement that the Government agreed with the view of the Advocate General. The Advocate General's note basically stated that the Commission should obtain the information from the respondent. The Commission wrote back to the State Government, on 21.7.2006, bringing to its notice the provisions of Section 146 of the Representation of the People Act, 1951, and pointing out that the State Government was obliged to furnish the information sought by the Commission.

8. The State Government submitted a reply on 1.8.2006, enclosing, inter alia, copies of notifications of appointments of the respondent in this reference case as well in respect of respondents in another case. The documents submitted by the State Government showed that the respondent's case is of post-election appointment. The notification of

appointment of the member furnished by the State Govt. mentioned that he will not draw any salary during his tenure as Chairman, Hooghly River Bridge Commissioners. In these circumstances, the Commission, on 18.8.2006, sent copies of the documents furnished by the State Govt. to the petitioner for his comments thereon by 25.8.2006. It is seen that the name of the office has been wrongly described by the petitioner as 'Chairman, Hooghly River Bridge Corporation'. The correct name appears to be "Chairman, Hooghly River Bridge Commissioners', as mentioned in the documents submitted by the State Govt.

9. In the meantime, the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, amending the Principal Act of 1959, was enacted by the Parliament and notified after the Presidential assent on 18.8.2006. A copy of this Amendment Act was received from the Ministry of Law and Justice on 21.8.2006. By the Amendment Act, the offices of Chairman, Deputy Chairman, Secretary or Member (by whatever name called), among others, in The Hooghly River Bridge Commissioners, constituted under the Hooghly River Bridge Act, 1969, have been declared under Section 3 (k) of the Principal Act, as the office the holders whereof shall not be disqualified for being chosen as, and for being Members of Parliament. These amendments to the Principal Act have been brought into force with retrospective effect from 4th April, 1959.

10. On 25.8.2006, the petitioner submitted his response to the documents made available by the West Bengal Government reiterating his earlier contention.

11. In the present case, the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, has a direct bearing. As mentioned above, the provisions of clause (k) of Section 3 of the Principal Act of 1959 and the Table containing the names of the bodies specified therein have been brought into force with effect from 4.4.1959. It is a settled position that under Article 102(1)(a), the Parliament is empowered to declare, with retrospective effect, an office to be an office the holder whereof shall not be disqualified. The decision of the Supreme Court in *Smt. Kanta Kathuria vs. M. Manak Chand Surana* [1970 (2) SCR 838] upholds this Constitution position. In the past also, the Commission has taken cognizance of similar laws passed by the legislatures with retrospective effect, even as enquiry into the references concerned was in progress. In the reference case (No. 4 of 1980) regarding alleged disqualification of Sh. Gaya Lal and 23 other members of the Haryana Legislative Assembly, during the pendency of the reference before the Commission, the Haryana State Legislature amended the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974, twice by virtue of which the offices held by

the said MLAs were brought under the exempted categories. In that case, the Commission, in its opinion dated 21-05-1981 held the view that the disqualifications, if any, stood removed in their cases and the reference became infructuous. Similarly, in a reference case {No. 2(G) of 2005,} relating to alleged disqualification of Shri Mohd. Azam Khan for membership of Uttar Pradesh Legislative Assembly, the State Legislature passed an amendment to the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971, during the pendency of the proceedings before the Commission. In that matter also, the Commission tendered its opinion to the effect that disqualification, if any, stood removed in view of the amended provisions of the law. Again, in another recent case {Reference Case Nos. 65(G) to 70 (G) 2006) on the petition of Sh. Y. Mangi Singh regarding alleged disqualification of 6 MLAs of Manipur, the Commission took note of the Amendment Act passed by the Manipur State Legislature, exempting the offices concerned from disqualification, and opined that the reference had been rendered infructuous. The present case is also similar in facts and circumstances to the above referred cases and the amended provision of law removing the disqualification, if any, squarely apply in this case.

12. Having regard to the above constitutional, legal and factual position, the Commission is of the considered view that the question raised in the petition dated 24th March, 2006 of Sh. Mukul Roy regarding alleged disqualification of Shri Swadesh Chakraborty, does not survive now, that disqualification, if any, incurred by him, stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act 2006. Accordingly, the reference from the President is returned with the Commission's opinion to the effect that Shri Swadesh Chakraborty, is not subject to disqualification under Article 102(1)(a) on account of his appointment to the office of Chairman, Hooghly River Bridge Commissioners'.

(S.Y.Quraishi)	(N.Gopalaswami)	(Navin B.Chawla)
Election Commissioner	**Chief Election Commissioner**	**Election Commissioner**

Place: New Delhi
Dated: 14th September, 2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.